Rcms 2018 / 000026

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी: नरेन्द्र गुप्ता , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 1/2018 (अपील)

उनवान

सत्यनारायण आत्मज श्री जगन्नाथ जाति अहीर निवासी डूंगरपुर तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. हरनारायण आत्मज श्री मथुरालाल जाति अहीर
2. मूलचन्द आत्मज श्री औकार जी जाति अहीर नि0 डूंगरपुर तहसील सांगोद, जिला कोटा (राज0)

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री राकेश यादव (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 टी0 एक्ट 1955
बनाराजगी आदेश दिनांक 20.11.2017
ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद
अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 08.11.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पंचायत पंचायत समिति सांगोद के आदेश दिनांक 20.11.2017 के विरूद्व इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट की आराजी पर होकर रेस्पो0 को रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । अपीलान्ट की आराजी पर होकर कभी भी रेस्पो0 का रास्ता कायम नही रहा है ना ही राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट की आराजी पर होकर रेस्पो0 का रास्ता ही रहा है । रेस्पो0 का रास्ता सरकारी चाह 525 की आराजी पर होकर उसके सहारे सहारे होकर अपनी आराजी आने जाने का रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग वह कर रहे है तथा वह रेस्पो0 अपीलान्ट की आराजी मे होकर नया रास्ता कायम करना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है । ग्राम पंचायत को किसी खातेदार की आराजी मे होकर नया रास्ता कायम करने का आदेश देने का कोई अधिकार नही है । रेस्पो0 द्वारा ग्राम पंचायत के आदेश की पालना मे प्रार्थी के खाते की आराजी मे होकर आना जाना शुरू कर दिया तो अपीलान्ट की भारी क्षति होगी तथा अपीलान्ट के खेत खराब हो जावेगा । अपील नकल निर्णय प्राप्त करने के दिनांक 21.11.2017 से नकल प्राप्त होने की दिनांक 27.11.2017 तक के दिन मुजरा करने पर अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की आराजी में होकर रेस्पो0 को दिया गया रास्ता के संबंध मे आदेश निरस्त किया जावे ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई।

3 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलान्ट की आराजी पर होकर

कभी भी रेस्पो0 का रास्ता कायम नही रहा है ना ही राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट की आराजी पर होकर रेस्पो0 का रास्ता ही रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की आराजी में होकर रेस्पो0 को दिया गया रास्ता के संबंध मे आदेश निरस्त किया जावे ।उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपीलांट को दि0 20.11.2017 को नोटिस दिया गया व उसी दिन फैसला कर दिया । उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नही किया गया । प्रकरण को ग्राम पंचायत को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है । वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन मे 2018 (1) आरआरटी पेज 118 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये ।

4. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि उक्त रास्ते का उपयोग रेस्पो0 पिछले 50–60 वर्षो से करते चले आ रहे है । लेकिन अपीलान्ट सत्यनारायण ने उक्त रास्ते को बन्द कर देने पर रेस्पो0 द्वारा ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मौका देखकर सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी के निर्णय दिनांक 20.11.2017 से रेस्पो0 का रास्ता खुलासा करवाने के आदेश पारित किये है वह नियमानुसार है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया गया ।

5 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद की पत्रावली मे शामिल अपीलान्ट सत्यनारायण के बयान दि0 06.11.2017 मे उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा रास्ता बंद किया गया है।इस कथन की ताईद हरनारायण व मूलचन्द के ब्यान से भी होती है । पंच लेखराज, मुकेश नागर, चेतन प्रकाश ने मौका निरीक्षण का मौका रिपोर्ट मे भी अंकित किया कि हमेशा से कजोडी अहीर की पूर्वी मेर से होते हुए सत्यनारायण व कबीर आश्रम की दिवार के सहारे होते हुए हरनारायण अहीर का खेत मे आते है । हरनारायण अहीर की पूर्व पश्चिम मेर व सत्यनारायण की मेर से होते हुये मूलचंद परमहंस अहीर का खेत मे जाते है । हमेशा इसी जगह पर रास्ता निकलता आ रहा है । मौका देखने से यह साबित होता है कि कजोड अहीर, सत्यनारायण अहीर व हरनारायण के खेत मे आते है। इसके बाद हरनारायण व सत्यनारायण की मेर से मूलचन्द, परमहंस की मेर जाते है । रास्ता सत्यनारायण अहीर ने अवरूद्व किया है । अतः अपीलांट का यह कथन कि उसे बिना सुने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए निर्णय पारित किया गया मान्य नही है ।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि अपीलान्ट द्वारा परम्परागत रास्ते को अवरूद्व किया है । रेस्पो0 द्वारा कोई नया रास्ता कायम करना साबित नही होता है । राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.09.1982 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत 45 दिनों तक संबंधित ग्राम पंचायत को परम्परागत रास्ता खुलासा करवाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होते । सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा के निर्णय दिनांक 20.11.2017 मे हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है । अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.11.2017 यथावत रखा जाता है ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 08.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा